समाहरणालय, बक्सर
(सामान्य शाखा)

आदेश

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार, पटना के पत्रांक– 13293, दिनांक– 05-10-1991, पत्रांक– 2822, दिनांक– 27-04-1995 एवं पत्रांक– 11462, दिनांक– 24-08-2016 में निहित प्रावधानानुसार तथा दिनांक– 05-02-2021 को सम्पन्न जिला अनुकम्पा समिति की बैठक की कार्यवाही अनुशंसा ज्ञापांक–01-0381/स्था0, दिनांक– 19-02-2021 के आलोक में स्व0 सूरज यादव, चौकीदार, अंचल कार्यालय, बक्सर के पुत्र श्री सुभाष कुमार यादव, ग्राम+पोस्ट–चुरामनपुर, थाना–बक्सर औ0, अंचल– बक्सर, जिला– बक्सर, जिनकी जन्मतिथि 13-09-1979 तथा शैक्षणिक योग्यता इन्टर है, को अंचल– बक्सर में चौकीदार के पद पर वेतनमान 5200-20200 ग्रेड वेतन–1800 के लेवल–1 एवं समय समय पर सरकार द्वारा अनुमान्य भत्तों एवं निम्न शर्तो के साथ नियुक्त किया जाता है :–

1. यह नियुक्ति परिवीक्षा के आधार पर की गयी है। परिवीक्षा की अवधि दो वर्ष की होगी। परिवीक्षा की अवधि में इनकी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जायेगी तो परिवीक्षा की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकती है। अगर वर्धित अवधि के दरम्यान भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी गयी तो उस परिस्थिति में सेवा समाप्त की जा सकती है।
2. यह नियुक्ति विल्कुल अस्थायी है तथा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना एवं कारण बताये समाप्त की जा सकती है।
3. नवनियुक्त चौकीदार की नियुक्ति अनुकम्पा के आधार पर की गयी है, फलतः मृतक के आश्रितों का भरण–पोषण करने हेतु पूर्णतः जिम्मेवार होंगे। ऐसा नहीं करने पर इनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की जायेगी तथा परिलब्धियों का एक अंश काटकर मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को भुगतान किया जायेगा।
4. नियुक्त व्यक्ति द्वारा मृतक के आश्रितों को भरण–पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि की जाती है तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा कारण पृच्छा कर इनकी सेवा समाप्त की जा सकेगी।
5. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र मूल में प्रस्तुत करना होगा।
6. योगदान के लिए कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।
7. वेतन का भुगतान योगदान स्वीकृति की तिथि से देय होगा।
8. मैट्रिक के शैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन निगरानी पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के पत्रांक–नि0–7087, दिनांक– 07-07-2021 एवं इन्टर के शैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उ0मा0), बिहार, पटना के पत्रांक– BSEB(SS)PAT/EX/169/D/21, दिनांक– 17-04-2021 से प्राप्त है।

श्री सुभाष कुमार यादव, पिता– स्व0 सूरज यादव, ग्राम+पोस्ट–चुरामनपुर, थाना–बक्सर औ0, अंचल– बक्सर, जिला– बक्सर को निदेशित किया जाता है कि नियुक्ति पत्र निर्गत होने के 30 (तीस) दिनों के अन्दर अंचलाधिकारी, बक्सर के कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करेंगें। यदि (तीस) दिनों के अन्दर योगदान नहीं किया जायेगा तो इनकी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

ह0/
जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक............................सा0, दिनांक............... / .... / 2021

प्रतिलिपिः– श्री सुभाष कुमार यादव, पिता– स्व0 सूरज यादव, ग्राम+पोस्ट–चुरामनपुर, थाना–बक्सर औ0, अंचल– बक्सर, जिला– बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आदेश निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर अंचलाधिकारी, बक्सर के कार्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा यह माना जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति के लिए इच्छुक नहीं है तथा नियुक्ति रद्द मानी जायेगी।

ह0/
जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक............................सा0, दिनांक............... / .... / 2021

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, बक्सर / असैनिक शल्य चिकित्सक–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बक्सर / अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर / अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बक्सर / वरीय कोषागार पदाधिकारी, बक्सर / थानाध्यक्ष, बक्सर औ0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अंचलाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि नवनियुक्त चौकीदार का योगदान प्राप्त करने के पश्चात इनकी सेवा संबंधित थाना को स्थानान्तरित करते हुए इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी एवं पुलिस अधीक्षक, बक्सर को देना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, बक्सर / आई0टी0मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेशित किया जाता है कि जिले के वेबसाईट पर अप–लोड करना सुनिश्चित करें।

ह0/
जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 02-1562 सा0, दिनांक 03 / 9 / 2021

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना / अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति–सह–जिला पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित।

3/9/2021

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

श्री सुभाष कुमार यादव, पिता– स्व0 सूरज यादव, ग्राम+पोस्ट–चुरामनपुर, थाना–बक्सर औ0, अंचल– बक्सर, जिला– बक्सर को निदेशित किया जाता है कि नियुक्ति पत्र निर्गत होने के 30 (तीस) दिनों के अन्दर अंचलाधिकारी, बक्सर के कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करेंगें। यदि (तीस) दिनों के अन्दर योगदान नहीं किया जायेगा तो इनकी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

ह0/
जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक..........................सा0, दिनांक............../............../2021

प्रतिलिपिः– श्री सुभाष कुमार यादव, पिता– स्व0 सूरज यादव, ग्राम+पोस्ट–चुरामनपुर, थाना–बक्सर औ0, अंचल– बक्सर, जिला– बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आदेश निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर अंचलाधिकारी, बक्सर के कार्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करें अन्यथा यह माना जायेगा कि आप उक्त पद पर नियुक्ति के लिए इच्छुक नहीं है तथा नियुक्ति रद्द मानी जायेगी।

ह0/
जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 02-1562 सा0, दिनांक 03 / 9 /2021

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, बक्सर/ असैनिक शल्य चिकित्सक–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बक्सर/ अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बक्सर/ वरीय कोषागार पदाधिकारी, बक्सर / थानाध्यक्ष, बक्सर औ0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अंचलाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि नवनियुक्त चौकीदार का योगदान प्राप्त करने के पश्चात इनकी सेवा संबंधित थाना को स्थानान्तरित करते हुए इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी एवं पुलिस अधीक्षक, बक्सर को देना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, बक्सर/ आई0टी0मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेशित किया जाता है कि जिले के वेबसाईट पर अप–लोड करना सुनिश्चित करें।

1/9/2021
जिला पदाधिकारी,
बक्सर।